

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2013/668

दिनांक:-29/7/13

आदेश

आवासन मण्डल की आवासीय योजना प्रतापनगर, सांगानेर के सैक्टर-29 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (G+3) के 86 फ्लेट्स को नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नीलामी से निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.सं.	आय वर्ग	आवास संख्या	आवासों की संख्या
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	29-G 8, 10, 12	3
2.	" "	29-H 7, 11, 12, 15	4
3.	" "	29-J 6, 11, 12, 15	4
4.	" "	29-K 6, 7, 9, 12, 14, 16	6
5.	" "	29-L 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15	7
6.	" "	29-M 1,12, 13, 16	4
7.	" "	29-N 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15	8
8.	" "	29-P 3, 7, 8, 10, 14, 16	6
9.	" "	29-Q 1, 7, 10, 12, 14	5
10.	" "	29-R 10, 12, 14, 15	4
11.	" "	29-S 9, 10, 11, 13, 14	5
12.	" "	29-T 4, 9, 15	3
13.	" "	29-U 14,15	2
14.	" "	29-V 5, 8, 10	3
15.	" "	29-W 7, 12, 13, 14, 16	5
16.	" "	29-X 5, 6, 9, 15, 16	5
17.	" "	29-Y 6, 11, 12, 13, 16	5
18.	" "	29-Z 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16	7
		कुल आवास =	86

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन है।

(डॉ० आर० वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

P.T.O

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय,/पी.एण्ड.एम/अति० मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(उप निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।



(टीकम चन्द बोहरा)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक